कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर

पत्रॉक: 2094 /15–1 सीतापुर, दिनॉक: 27/10/ 2017

श्री पवन

PCCF (I.T.)
30 OCT 2017

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सीतापुर पन प्रभाग के निष्प्रयोज्य वाहनों की **नीलामी दिनॉक 15–11–2017 को पूर्वान्ह 11:00 बजे स्थान–कार्यालय–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर के परिसर** में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति नीचे दी गयी शर्तो के आधार पर अपना नाम पंजीकृत कराकर नीलामी में भाग ले सकते हैं। निष्प्रयोज्य वाहनों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	वाहन का नाम एवं प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मॉडल	वाहन जहॉ जैसी स्थित में खड़ा है	वाहन निरीक्षण कराने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1	2	3	4	5
1.	महिन्द्रा जीप (डीजल चालित)	यू0एच0ओ0–9766 माडल–1986	कार्यालय परिसर, प्रभागीय निदेशक, सा0वा0वन प्रभाग, लालकुर्ती, सीतापुर।	श्री नरेन्द्र कुमार राठौर, क0स0/प्रभारी भण्डार शाखा
2.	महिन्द्रा जीप (डीजल चालित)	यू0जी0सी0–5193 माडल–1988	कार्यालय परिसर, प्रभागीय निदेशक, सा0वा0वन प्रभाग, लालकुर्ती, सीतापुर।	श्री नरेन्द्र कुमार राठौर, क0स0/प्रभारी भण्डार शाखा
3.	एम्बेसडर कार (पेट्रोल चालित)	यू0एच0जी0–4237 माडल–1984	रेंज कार्यालय परिसर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कार्टरगंज, महोली, सीतापुर।	श्री आर0एन0 चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, महोली रेंज।
4.	बुलेट मोटर साइकिल (पेट्रोल चालित)	यू0पी034–डी–5187 माडल–2001	रेंज कार्यालय परिसर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, लहरपुर, सीतापुर।	श्री सुबोध कुमार शुक्ला, क्षेत्रीय वन अधिकारी, लहरपुर रेंज।

नीलामी की शर्ते

1. उक्त वाहन जहॉ जैसी स्थिति में खड़ा है के आधार पर मान्य होगा। नीलामी के उपरान्त वाहन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
2. उक्त वाहन प्रत्येक कार्य दिवस में वाहन खड़े होने के स्थान पर प्रातः 10 बजे से 5 बजे के मध्य कालम–5 में अंकित अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क कर देखा जा सकता है।
3. नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व आई0डी0 की प्रमाणित छायाप्रति एवं धरोहर धनराशि के रूप में रूपया 5000=00 जमा करना अनिवार्य होगा।
4. उच्चतम बोली बोलने वाले क्रेता को सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत जमानत के रूप में उसी समय जमा करना होगा, सक्षम अधिकारी से नीलाम स्वीकृत होने पर उच्चतम बोली की शेष धनराशि एवं वर्तमान में देय शासकीय टैक्स क्रेता द्वारा जमा करने के उपरान्त वाहन को एक सप्ताह के अन्दर उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. वाहन की निर्धारित विक्रय मूल्य की बोली न आने पर नीलामी स्थगित कर दी जायेगी।
6. नीलामी को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

27/10/17

(डा0अनिरूद्ध पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

............क्रमशः पृष्ठ–2–पर